आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 304/2024 अनवान ***आईदानराम व अन्य बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.24	उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में दिनांक 9.9.24 को रेस्पो0सं0 19 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति वकील अपीलांट को दिलायी गई। वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 18.9.24 को जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। रेस्पो0सं0 19 के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहरते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 2 व 3 ने तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण सं0 88 दिनांक 03.01.1985 के विरूद्ध ना0क0 अपील प्रस्तुत की गई थी। उस अपील में मौजूदा अपील के अपीलार्थीगण बतौर प्रत्यर्थी संयोजित थे। मौजूदा अपीलार्थी द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई अपील प्रस्तुत की गई और न ही आलौच्य ना0क0सं0 88 के विरूद्ध किसी प्रकार के कोई प्रत्याक्षेप प्रस्तुत किए गये। जिस कारण अपीलार्थीगण को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नही होने से मौजूदा/हस्तगत अपील अधिकार विहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त योग्य है। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया द्वारा Venkatrao Ababtdeo Vs Sau- Malatibai & Others में पारित निर्णय दिनांक 15.11.	

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

2002 की प्रति एवं सिविल कोर्ट केसेस 1997 (Suppl.) Page No- 211-216 में पारित निर्णय दृष्टांतों की प्रति प्रस्तुत की गई।

वकील अपीलांट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलार्थीगण ने बतौर प्रत्यर्थी अधीनस्थ न्यायालय में लिखित बहस व आदेश 12 नियम 6 के जवाब में स्पष्ट रूप से अपीलाधीन ना0क0सं0 88 को खारिज करने की प्रार्थना की गई थी। जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2024 के पृष्ठ सं0 10 के मध्य पैराग्राफ स्पष्ट रूप से अंकित है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2/1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रत्याक्षेप (Cross Objection) अंतर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित आदेश 43 नियम 2 सीपीसी प्रस्तुत कर उसमें उसमें उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं0 87 व 96 की भूमि नवलाराम के नाम खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 में दर्ज है। इसकी जांच के संबंध में यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि नवलाराम के 4 जायंदा संतानों में 3 पुत्र व 1 पुत्री है। किंतु तत्समय नवलाराम का फौतेदगी ना0क0सं0 88 केवल मात्र एक पुत्र अणदाराम के नाम पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2024 व अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 88 निरस्त फरमावे।

हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों व निर्णय नजीरों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में रेस्पो0सं0 9 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा होते है। क्योंकि इस द्वितीय अपील के जो अपीलार्थी है, वे अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायालय में प्रत्यर्थी सं0 2, 3 व 5/2 थे। उनके द्वारा विचारण न्यायालय में ना तो कोई प्रत्याक्षेप (Cross Objection) प्रस्तुत किए गये और ना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण से व्यथित होने बाबत कोई इस्तदुआ की गई। लिहाजा उन्हें इस स्तर पर अपील प्रस्तुत करने का अपीलाधीन अधिकार नही है। जहां तक अपीलाधीन आदेश के पृष्ठ सं0 10 में उल्लेखित इनकी इस्तदुआ का प्रश्न है, तो प्रत्यर्थी स्वयं इस संबंध में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र थे।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप रेस्पो0सं0 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजूदा/हस्तगत अपील अधिकार विहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है तथा रेस्पो0सं0 2/1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्याक्षेप (Cross Objection) अंतर्गत आदेश 41 नियम 22 सपठित आदेश 43 नियम 2 सीपीसी भी तद्नुसार खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर